अतिआवश्यक (1)
तत्काल

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग,
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 1669 /प्र.अ./विधि/लो.स्वा.यां.वि./2024 भोपाल, दिनांक 21/02/2024

प्रति,

1. मुख्य अभियंता,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   परिक्षेत्र भोपाल/(वि./यां.) भोपाल/
   इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर

2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   मंडल.................................

3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   खंड/मैकेनिकल खंड..................................

विषयः– दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्ति हेतु एवं कार्यभारित/नियमित कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति उपरांत दैनिक वेतन भोगी सेवाओं को पेंशन प्रयोजन के लिए कुल सेवा अवधि में जोड़ने हेतु, दायर किये जा रहे न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभावी प्रतिरक्षण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने विषयक ।

संदर्भः–इस कार्यालय का पत्र कमांक 1134 दिनांक 05.02.2024, पत्र कमांक 15657 दिनांक 15.12.2023, पत्र कमांक 15961 दिनांक 21.12.2023 एवं पत्र कमांक 15962 दिनांक 22.12.2023

——0——

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जिनके माध्यम से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्ति हेतु एवं कार्यभारित/ नियमित कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति उपरांत दैनिक वेतन भोगी सेवाओं को पेंशन प्रयोजन के लिए कुल सेवा अवधि में जोड़ने हेतु, दायर किये जा रहे न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभावी प्रतिरक्षण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये गये है तथा इस संबंध में आपको माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित महत्वपूर्ण निर्णय उनके सार सहित सूचित किये गये हैं ।

इसी अनुक्रम में इस कार्यालय के संज्ञान में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित कुछ अन्य निर्णय आये हैं, जिनमें निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है :—

क0	माननीय न्यायालय का निर्णय	निर्णय सार
1.	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 505—531/2020 (परमेश्वर नंदा आदि बनाम झारखंड राज्य) में पारित निर्णय दिनांक 07 फरवरी 2020	यदि किसी कर्मचारी को नवनियुक्त की तरह बिना वेतन एवं वरिष्ठता संरक्षण के नियमित सेवा में संविलियन किया जाता है, तो वह अपनी पुरानी सेवाओं को पेंशन प्रयोजन के लिये गिने जाने का पात्र नहीं होगा। विभाग में सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियो का कार्यभारित/नियमित सेवाओं में संविलियन इसी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है ऐसी स्थिति में विभाग के ऐसे कार्यभारित कर्मचारी/नियमित कर्मचारी अपनी दैनिक वेतन भोगी सेवाओं को पेंशन प्रयोजन हेतु गिनने का दावा नहीं कर सकते हैं।
2.	माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट अपील क्रमांक 226/2018 (म.प्र.शासन एवं अन्य बनाम इसरत मोहम्मद) में पारित निर्णय दिनांक 06.03.2019	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को पेंशन पात्रता नहीं आती है।
3.	माननीय उच्चतम न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 29982/2023 (अशोक कुमार शर्मा बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 19.12 2023	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को पेंशन पात्रता नहीं आती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने परिक्षेत्र/मंडल/खंड के अधीनस्थ भविष्य में दायर होने वाले/विचाराधीन इस प्रकृति के प्रकरणों में ऊपर उल्लेखित न्यायदृष्टांतों का प्रयोग प्रतिरक्षण हेतु आवश्यक रूप से करें तथा इन निर्णयों को अनिवार्य रूप से शासकीय अधिवक्ता के संज्ञान में लावे।

कृपया ध्यान दें कि यदि प्रतिरक्षण में लापरवाही की वजह से इस कार्यालय के संज्ञान में कोई बाध्यकारी निर्णय आता है तो संबंधित प्रभारी अधिकारी/नियंत्रणकर्ता अधिकारी का उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

20.2.2024

प्रमुख अभियंता

3

REPORTABLE

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NOS. 505-531 OF 2020
(ARISING OUT OF SLP (CIVIL) NOS. 27922-27948 OF 2017)

PARMESHWAR NANDA ETC. .....APPELLANT(S)

VERSUS

THE STATE OF JHARKHAND THROUGH CHIEF SECRETARY & ORS. ETC. .....RESPONDENT(S)

WITH

CIVIL APPEAL NOS. 532-542 OF 2020
(ARISING OUT OF SLP (CIVIL) NOS. 32135-32145 OF 2017)

CIVIL APPEAL NO. 543 OF 2020
(ARISING OUT OF SLP (CIVIL) NO. 852 OF 2018)

CIVIL APPEAL NO. 544 OF 2020
(ARISING OUT OF SLP (CIVIL) NO. 4380 OF 2019)

AND

CIVIL APPEAL NOS. 545-546 OF 2020
(ARISING OUT OF SLP (CIVIL) NOS. 4698-4699 OF 2019)

JUDGMENT

HEMANT GUPTA, J.

Civil Appeal Nos. 505-531 of 2020

Civil Appeal Nos. 532-542 of 2020

Civil Appeal Nos. 543 of 2020